न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 36 / 2025

श्री पवन कुमार सैनी पुत्र स्व. गोपाल लाल सैनी निवासी मोहल्ला मेहन्दीबाग शिव मन्दिर के पास टोंक तहसील व जिला टोंक —अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक —प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 03.06.2025**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 03.02.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 19 (1) के अन्तर्गत प्रथम अपील अधिकारी का नाम और कार्यालय का नाम व पता, की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जावें।

(2) किसी भी ऋणदाता बैंक/लिमिटेड कं० द्वारा श्रीमान् जिला कलेक्टर के आदेशानुसार अंतर्गत धारा 14 सिक्योटाईजेशन एक्ट 2002 के बैंक ऋण वसूली बंधक सम्पत्ति कार्यवाही / लिखित सूचना के नियम व शर्तों की सत्य प्रतिलिपि उपलब्ध करावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 603 दिनांक 25.04.2025, 744 दिनांक 08.05.2025 व 873 दिनांक 22.05.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट दिनांक 08.05.2025 को न्यायालय में उपस्थित हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 514 दिनांक 20.05.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां के संबंध में अग्रणी जिला प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा टोंक ने उनके पत्र कमांक 135 दिनांक 06.03.2025 से अपीलार्थी को सूचित किया गया है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

665